

न्यायालय सभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:-345/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00291)

1. जयसिंह मील, पुत्र श्री गणपत सिंह मील उम्र 64 वर्ष, जाति जाट, निवासी शिवमंदिर सीनेमा के सामने फतेहपुरा, रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीकर, राजस्थान।

—रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक: 02.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 13.08.2018 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक सीकर से रिपोर्ट चाही गई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(आई.बी.) जोन जयपुर ग्रामीण एवं तहसीलदार सीकर से भी रिपोर्ट मांगी गई जिसमें पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा रिपोर्ट में अपीलार्थी को सजायास्ता एवं मुस्तबा होना नहीं पाया गया केवल यह लिखा गया कि जांच के दौरान भी किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को खतरा होने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया एवं पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. द्वारा यह लिखा गया कि आवेदक सेशन कौर्ट सीकर में वकालत करता है, झगडालू प्रवृति का है, आवेदक को किसी प्रकार का खसरा होना ज्ञात नहीं हुआ, केवल अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार किया है जबकि अपीलार्थी ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक विनित कुमार के विरुद्ध परिवाद कर रखा है, इस बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं जांच नहीं कराकर किसी अन्य अधिकारी से करवानी चाहिये थी इस कारण से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. द्वारा भी केवल झगडालू प्रवृति का व्यक्ति बताया है केवल यह आधार बनाकर कि व्यक्ति झगडालू प्रवृति का है, लाईसेन्स दिये जाने के मना करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार सीकर द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि अपीलान्ट की आर्थिक स्थिति अच्छी है अपीलान्ट का आचरण/आम शोहरत अच्छी है, अपीलान्ट आत्म सुरक्षा हेतु अनुज्ञा पत्र लेना चाहता है, अपीलान्ट का पुलिस रिपोर्ट के बाद शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना उचित होगा इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट अपीलान्ट के पक्ष में आने के पश्चात् भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

P.T.O.

अधीनस्थ आयुक्त
जयपुर

(2)

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं रहा है एवं अभिभाषक संघ सीकर द्वारा भी दिनांक 03.08.2018 को पुलिस अधीक्षक सीकर को यह लिखकर दिया है कि अपीलान्त को सुरक्षा हेतु आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की कृपा करें फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2018 निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपील अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को शस्त्र लाईसेन्स देने के आदेश फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा जॉच अधिकारी से प्रतिकूल अभिमत प्राप्त होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2018 पारित किया गया है जबकि प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्त को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर क द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के०सी०वर्मा)

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।